राजस्थान सरकार

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ़्स ज्योति नगर, जयपुर।

क्रमांक–वक्फ/सुरक्षा/2020/253 से 386 जयपुर, दिनांक :– 07.04.2020

सदर/सचिव/मुतवल्लीयान
जिला /तहसील / कब्रस्तान कमेटीज
समस्त राजस्थान ––––––––––

अपील

प्रत्येक वर्ष शब–ए–बरात के दिन कब्रिस्तानों एवं मजारात/दरगाहों में फातेहा व मस्जिदों में नमाज की अदायगी , अपने मरहूम बुर्जुगों की मगफिरत के लिए दुआ /इवादत करते है,इस मौके पर भीड का एकत्रित होती है।

जैसा कि आप सभी को मालुम है कि में राज्य के कब्रिस्तानों,मजारात, दरगाह व मस्जिदों में शब ए बरात त्यौहार पर भीड एकत्रित होने की सम्भवना है, महामारी की वर्तमान परिस्थितियों एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित में लागू की गई धारा 144 एवं इसी क्रम में लॉक–डाउन के अनुसरण में भीड एकत्रित होने से रोकने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों को भी पूर्व से ही रोक है। इसलिए शव–ए–बरात के मौके पर जनहित में कब्रिस्तानों ,मजारात ,दरगाहों एवं मसाजिदों में नमाज अदा करने से सख्ती से जनहित में रोका जाना जरूरी है, **फातेहा/इबादत/नमाज की अदायगी घर पर ही करने की हिदायत देना सुनिश्चित करें** एवं अपील के साथ हिदायत दी जाती है कि कब्रस्तानों,मजारात ,दरगाहों व मस्जिदों में एकत्रित होने के लिए मुख्य दरवाजों/रास्तों को आवश्यक रूप से रोका जाये । उल्लेखनीय है कि उल्लघन करने वाले व्यक्ति भा0द0स0 की धाराओं में दिए गये प्रावधानों के तहत होने वाली कार्यवाही के लिए उल्लघनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगें ।

अतःउपरोक्तानुसार आप सभी जिम्मेदारान/कमेटी के पदाधिकरियों को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में लोगों को समझाईश करें कि आपके जैरे इंतजाम कब्रस्तानों/मजारात,दरगाहों व मस्जिदों में एकत्रित होकर फातेहा/ईबादत/नमाज आदि अदायगी ना कर जनहित में अपने घर में ही रहकर करें ,यदि कोई व्यक्ति उल्लघन करें तो संबंधित प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों को सूचित करें ताकि इस बीमारी से जनहानि ना हो पाये जो कि आपकी भी जिम्मेदारी आयद होती है ।

मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप इस आपदा में आप सभी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभायेंगें।

(डॉ0 खानू खान बुधवाली)
अध्यक्ष
(9829047860)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :– 253 To 386/2020

1–सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय,राज.सरकार जयपुर।
2–मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3– प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
4– प्रमुख शासन सचिव,अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राज0सरकार जयपुर।
5– समस्त जिला कलक्टर्स् राजस्थान।

अध्यक्ष

Scanned with CamScanner